ए.

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरिटियस) लिमिटेड बनाम

प्रदीप शांतिपरशाद जैन और ओआरएस। (2020 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 624) आई. एन.

बी.

(2016 की सिविल अपील संख्या 5158) 11 जुलाई, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

सी.

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-न्यायालय अवमानना-कब आयोजित की गईःउत्तरदाताओं को कमी की राशि अपने निगम बैंक खाते में जमा करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं ताकि उनकी ओर से 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को बनाए रखा जा सके-बचाव पक्ष में ईमानदारी का अभाव है-उत्तरदाताओं को वही प्रस्तुतियाँ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं जिन्हें पहले स्वीकार नहीं किया गया है और/या अस्वीकार कर दिया गया है-बार-बार प्रस्तुतियाँ जो न्यायालय द्वारा पहले स्वीकार नहीं की गई हैं कि स्वयं एक जानबूझकर अवज्ञा है और अवमानना करने वालों की ओर से आचरण दिखाने के लिए अवमानना के समान है-उत्तरदाता सिविल अपील संख्या में पारित निर्णय और आदेश की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के दोषी हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

आरएन डे बनाम। भाग्यबती प्रामाणिक **(2000) 4** एस**.** सी**.** सी**. 400:[2000]**

3 एससीआर **172-**प्रतिष्ठित।

एच.

430

431

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स।

ए.

वेलसेट इंजीनियर्स और ए. एन. आर. बनाम विकास ऑटो इंडस्ट्रीज और अन्य। (2015) 10 एस. सी. सी. 609; एस. ई. बी. आई. बनाम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कार्पोरेशन।लिमिटेड और ओआरएस। (2014) 5 एस. सी. सी. 429-पर निर्भर था।के के मोदी बनाम के एन मोदी और अन्य। (1998) 3 एससीसी 573:[1998] 1 एस. सी. आर. 601; फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम गुरुमुख

दास सलूजा **(2004) 3** एस**.** सी**.** सी**. 155:[2004] 1** एससीआर **404;**

बी.

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर निर्माण

सी. ओ. (पी) लिमिटेड (1996) 4 एस. सी. सी. 622:[1996] 2 पूरक।एससीआर

295; राजिंदर कुमार मल्होत्रा बनाम परेश बिहारीलाल

व्यास; 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 89; राम नारंग बनाम रमेश नारंग और अन्र। (2006) 11 एससीसी 114:[2006]

सी.

3 एस**.** सी**.** आर**. 1068;** मेसर्स टेरा मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स बनाम मेसर्स

एस अलागेंदिरा अपेरल्स 2011 एससीसी ऑनलाइन डेल 4458;

कुन्हयमद बनाम केरल राज्य**; (2000) 6** एस**.** सी**.** सी**. 359:[2000] 1** पूरक। एससीआर **538;** मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम।

भारत संघ; (2012) 1 एससीसी 273:2011 (11) स्केल

634; वेदांत लिमिटेड **(**पूर्व में **26** जिसे एम/एस के नाम से जाना जाता था। सेसा स्टरलाइट लिमिटेड**)** बनाम गोवा फाउंडेशन और अन्य। **2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 476;** खाद्य निगम।भारत न्यायालय सुख देव प्रसाद **(2009) 5** एस**.** सी**.** सी**. 665;** कोर्ट लिक्विडेटर एम्प्लॉइज एसोसिएशन। न्यायालय पी**.** जी**.** मांकड़ **(2002) 10** एस**.** सी**.** सी**. 477;** राम नारंग न्यायालय रमेश नारंग और अन्य। **(2021)** एससीसी ऑनलाइन एससी **29;** राम किशन न्यायालय तरुण बजाज **(2014) 16**

डी.

ई.

एससीसी 204:[2014] 1 एससीआर 538; कंवर सिंह सैनी बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय (2012) 4 एससीसी 307:[2011] 15

एससीआर **972;** कपिलदेव प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य **(1999)**

7 एससीसी 569:[1999] 1 पूरक।एस. सी. आर. 725; रीता मार्कंडेय बनाम. सुरजीत सिंह अरोड़ा (1996) 6 एस. सी. सी. 14:[1996] 7

एफ.

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 56;** बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम सदरूद्दीन हसन

दया; (2004) 1 एससीसी 360:[2003] 6 पूरक।एस. सी. आर. 764-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

जी.

[2000] 3 एससीआर **172**

प्रतिष्ठित

पैरा **5.4**

[1998] 1 एससीआर **601**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.7**

[2004] 1 एससीआर **404**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.13**

[1996] 2 पूरक।पैरा **4.14** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 295**

एच.

ए.

[2006] 3 एससीआर **1068**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.15**

[2000] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 538** पैरा **4.19 [2014] 1** एस**.** सी**.** आर**. 538** पैरा **5.14 [2011] 15** एस**.** सी**.** आर**. 972** पैरा **5.14 [1999] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 725** पैरा **5.14 [1996] 7** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 56** पैरा **8.1 [2003] 6** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **8.1** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 764**

बी.

नागरिक मूल विषय न्यायनिर्णयः2016 की सिविल अपील में 2020 की अवमानना याचिका (सिविल) No.624।सिविल अपील सं. 2020 की अवमानना याचिका (सिविल) No.624 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.08.2020 और 06.05.2021 के न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए दायर याचिका। 2016 का 5158.

सी.

डी.

नीरज किशन कौल, निखिल एम. सखारदांडे, वरिष्ठ अधिवक्तागण , राजेंद्र बारोट, सुश्री लिज़ मैथ्यू, सुश्री विधि बारोट, सुश्री प्रियंका शेट्टी, सुश्री अपूर्व गुप्ता, ध्रुव शर्मा, सुश्री सोनाली जैन, आयुष चड्ढा, धवल अरोड़ा, सुश्री वसुधा जैन, अधिवक्तागण याची के लिए।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अंकुर यादव, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. याची द्वारा यहां वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कथित अवमानकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की जानबूझकर, जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा की गई है-इसमें उत्तरदाताओं ने कमी की राशि जमा नहीं की है ताकि कथित अवमानकर्ताओं के स्वामित्व वाली कंपनी एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड (इसके बाद "एविटेल" के रूप में संदर्भित) द्वारा बनाए गए निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखी जा सके।यह आरोप लगाया गया है कि कथित अवमानकर्ता इस न्यायालय के दिनांक 19.08.2020 और 06.05.2021 के दो आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं।

एफ.

जी.

2. संक्षेप में वर्तमान अवमानना कार्यवाही की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः-

2.1 एचएसबीसी-याची और एविटेल और अन्य ए के बीच 21.04.2011 पर एक शेयर सदस्यता समझौता (एसएसए) किया गया था।

एच.

433

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

(सिविल अपील सं. 5145/2016) में इस न्यायालय के समक्ष मूल अपीलार्थी (गण)एचएसबीसी ने अपनी चुकता पूंजी का 7.8 प्रतिशत हासिल करने के लिए एविटेल इंडिया की इक्विटी पूंजी में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।कि उक्त एसएसए में एक मध्यस्थता खंड शामिल था।

2.2 इसके बाद, दोनों पक्षों ने 06.05.2011 पर एक शेयरधारक समझौता (SHA) किया, जो SSA दिनांक 21.04.2011 में प्रवेश करने के बाद पक्षों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है।उक्त एस. एच. ए. में एक मध्यस्थता खंड भी था।जैसे ही पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, 11.05.2012 पर, एच. एस. बी. सी. द्वारा सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एस. आई. ए. सी.) को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए मध्यस्थता के नोटिस जारी किए गए। एस. आई. ए. सी. ने एक आपातकालीन मध्यस्थ नियुक्त किया।आपातकालीन मध्यस्थ ने एचएसबीसी के पक्ष में क्रमशः एसएसए और एसएचए में दो अंतरिम पुरस्कार पारित किए, जिसमें कथित अवमानकों-एविटेल दुबई को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की अपनी संपत्ति के मूल्य का निपटान करने या उससे निपटने या कम करने से बचने का निर्देश दिया गया, और एचएसबीसी को भारत और संयुक्त अरब अमीरात में वित्तीय संस्थानों को अंतरिम पुरस्कारों की एक प्रति देने की अनुमति दी गई, जिसके साथ उनमें से कोई भी खाता रखता है या रख सकता है या हस्ताक्षर कर सकता है, इस अनुरोध के साथ कि वित्तीय संस्थान अंतरिम पुरस्कारों के अनुरूप ऐसे खातों को फ्रीज कर दें।27.07.2012 पर, आपातकालीन मध्यस्थ ने एच. एस. बी. सी. को और राहत देते हुए अंतरिम पुरस्कारों में संशोधन किया। इसके बाद एच. एस. बी. सी. ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद अधिनियम, 1996 के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत मध्यस्थता याचिका संख्या <आई. डी. 2. दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कथित अवमानकर्ताओं को एस. एस. ए. और एस. एच. ए. दोनों के तहत शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही में एच. एस. बी. सी. के दावे की सीमा तक प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।

बी.

सी.

डी.

ई.

2.3 03.08.2012 पर, बॉम्बे हाई न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 9 याचिका के तहत एक अंतरिम आदेश पारित विद्वान , जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कॉर्पोरेशन बैंक को निर्देश दिया गया कि कथित अवमानकर्ताओं को 09.08.2012 पर या उससे पहले अपने खाते से 1 करोड़ रुपये की राशि निकालने की अनुमति दी जाए, लेकिन अगले आदेश तक किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाए, जिस समय तक खाता फ्रीज रहना था।इस बीच, कथित अवमानकर्ताओं ने एस. आई. ए. सी. के तत्वावधान में स्थापित तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी। 07.12.2012 पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अधिकार क्षेत्र की चुनौती को खारिज करते हुए एक सर्वसम्मत "अधिकार क्षेत्र पर अंतिम आंशिक निर्णय" पारित किया।

एफ.

जी.

2.4 कि इसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित धारा 9 याचिका में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 22.01.2014 पर एक आदेश पारित विद्वान ,

एच.

जिसमें उत्तरदाताओं-कथित अवमानकर्ताओं को निगम बैंक में अपने खाते में कोई भी कमी जमा करने का निर्देश दिया गया था ताकि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखी जा सके।विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक अपील का निपटारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 31.07.2014 के फैसले और आदेश के माध्यम से विद्वान गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कथित अवमानकर्ताओं को निगम बैंक में अपने खाते में कमी जमा करने का निर्देश देते हुए पारित आदेश डिवीजन बेंच के समक्ष आगे की अपील का विषय था ताकि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि को बनाए रखा जा सके।दिनांक 1 के निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को संशोधित विद्वान और कथित अवमानकर्ताओं को निगम बैंक खाते में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर अतिरिक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया, ताकि उक्त खाते में कुल जमा राशि 60 मिलियन अमेरिकी

डॉलर के उक्त आंकड़े के आधे पर रखी जा सके, यानी 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर (विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेशित 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय)।

बी.

सी.

डी.

2.5 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, एविटेल और एच. एस. बी. सी. दोनों ने इस न्यायालय के समक्ष अपील की। (अवीटेल द्वारा सिविल अपील सं. 5145/2016 और एचएसबीसी द्वारा सिविल अपील सं. 5158/2016)।एक सामान्य निर्णय और दिनांक 19.08.2020 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना दिया, जिसमें अविताल को 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने का निर्देश दिया गया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 22.01.2014 के आदेश को बहाल विद्वान गया।इस प्रकार, दिनांक 19.08.2020 के निर्णय और आदेश द्वारा, कथित अवमानकर्ताओं-यहाँ उत्तरदाताओं-एविटेल और अन्य लोगों को निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने और/या बनाए रखने की आवश्यकता थी।यह आरोप लगाया गया है कि कमी की राशि जमा नहीं करने और/या निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं रखने पर, उत्तरदाताओं ने अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत उपयुक्त सजा के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराया है।

ई.

एफ.

2.6 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस बीच सिंगापुर में मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एच. एस. बी. सी. के पक्ष में और यहाँ उत्तरदाताओं के खिलाफ हर्जाने के रूप में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देते हुए एक अंतिम निर्णय पारित किया था।इसी विदेशी पुरस्कार को यहाँ उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती दी गई थी-बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 34 की कार्यवाही में कथित अवमानक।दिनांक 28.09.2015 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम, 1996 ए की धारा 37 के तहत धारा 34 आवेदन/कार्यवाही और अपील को खारिज कर दिया।

जी.

एच.

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

05.05.2017 पर भी खारिज किया गया।इस बीच, एच. एस. बी. सी. ने एसएसए में दिनांकित विदेशी अंतिम निर्णय को लागू करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें प्रवर्तन कार्यवाही लंबित होने की सूचना थी।

2.7 ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद और इस न्यायालय द्वारा पारित आईडी1 दिनांकित निर्णय और आदेश के अनुसरण में, एचएसबीसी ने कथित अवमानकर्ताओं और एविटेल को आईडी2 दिनांकित एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें उनसे निगम बैंक खाते में कुल 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी राशि जमा करने का आह्वान किया गया।कथित अवमानकर्ताओं ने उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 1 के अपने जवाब द्वारा दिया और इस आधार पर कमी की राशि जमा करने से इनकार कर दिया कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उपचार पर विचार कर रहे थे।2.8 इसके बाद, याची ने अगस्त के फैसले की जानबूझकर, जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाते हुए 26.09.2020 पर प्रतिवादियों के खिलाफ वर्तमान याचिका दायर की थी।इस न्यायालय ने 06.11.2020 पर अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया।

बी.

सी.

डी.

2.9 30.04.2021 पर, एच. एस. बी. सी. ने एक अंतरिम आवेदन दायर किया जिसमें सं. 59119/2021, अन्य बातों के साथ-साथ, कथित अवमानकर्ताओं को अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए अवमानना याचिका के लंबित रहने के दौरान अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करने और/या तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोकने की मांग की गई थी।2.10 आई. डी. 1 पर अगली सुनवाई में, कथित अवमानकर्ताओं ने इस अवमानना याचिका के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रवर्तन याचिका के लंबित रहने के दौरान अपनी और एविटेल की किसी भी संपत्ति को बेचने या बोझ न डालने का वचन देने के लिए स्वेच्छा से काम किया।इसी प्रस्ताव को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था।इस न्यायालय ने प्रतिवादी-कथित अवमानकर्ताओं को छह सप्ताह की अवधि (यानी जून, 2021 तक) के भीतर कमी की राशि जमा करने का निर्देश दिया।

ई.

एफ.

2.11 कि इसके बाद इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के बजाय, उत्तरदाताओं ने एक आई. ए. दायर कर कमी की राशि के भुगतान से छूट की मांग की, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि वे अपनी संपत्ति का परिसमापन करने में असमर्थ हैं और उसी वचन की पेशकश की, जिसे पहले इस न्यायालय द्वारा आई. डी. 2 (आई. ए. संख्या 68388/2021) पर खारिज कर दिया गया था।एच. एस. बी. सी. द्वारा उक्त छूट आवेदन का उनके दिनांक 01.07.2021 के जवाब के माध्यम से विरोध किया गया था।इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से छूट आवेदन को खारिज कर दिया और कथित अवमानकर्ताओं को दो सप्ताह में अवमानना याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। एचएसबीसी की ओर से यह मामला है कि फैसले का पालन करने के बजाय

जी.

एच.

और 19.08.2020 दिनांकित आदेश और 06.05.2021 दिनांकित बाद के आदेश, कथित अवमानकर्ताओं ने आई. ए. संख्या 82521 (निर्देशों के लिए आवेदन) के रूप में एक और आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्हीं आधारों को उठाया गया है जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पहले खारिज कर दिया गया था।

2.12 जैसा कि यहाँ उत्तरदाता-कथित अवमानकर्ता विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.08.2020 और बाद के आदेश दिनांक 06.05.2021 का पालन करने में विफल रहे हैं, जिसमें लगभग की कमी को जमा नहीं विद्वान गया है।42 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग।आई. एन. आर. 3,09,07,18.09.2020 पर 88,400), ताकि कम से कम यू. एस. डी. 60 मिलियन (लगभग।4,41,54,12,000 निगम बैंक खाते में 18.09.2020) के अनुसार, याची -एच. एस. बी. सी. ने वर्तमान अवमानना याचिका को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

3. याची -एच. एस. बी. सी. की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल और कथित अवमानकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी उपस्थित हुए हैं। प्रतिवादियों-कथित अवमानकों की ओर से एक काउंटर दायर किया जाता है।

डी.

4. याची -एच. एस. बी. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान है कि अविटेल द्वारा बनाए गए निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी राशि जमा नहीं करके उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित (आई. डी. 1) और दिनांकित (आई. डी. 2) के निर्णय और आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर, जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा ने प्रतिवादियों-कथित अवमानकों को अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपयुक्त सजा के लिए उत्तरदायी बना दिया है।

ई.

एफ.

4.1 याची -एच. एस. बी. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौल द्वारा आगे प्रस्तुत विद्वान गया है कि वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अविताल और अन्य लोगों को कमी की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है ताकि अविताल द्वारा बनाए गए निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि बनाए रखी जा सके, प्रत्यर्थियों और अविताल ने उन्हीं आधारों पर कई कार्यवाही दायर की हैं जिन्हें इस माननीय न्यायालय द्वारा बार-बार खारिज कर दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थियों और अवितेल ने उन्हीं आधारों पर कई कार्यवाही दायर करना जारी रखा है जिन्हें पहले इस माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

जी.

एच.

437

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादियों-कथित अवमानकों ने याची द्वारा एविटेल में निवेश किए गए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संबंधित पक्षों को हेराफेरी की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं द्वारा पैसे की हेराफेरी की गई थी-कथित अवमानना करने वालों ने एविटेल होल्डिंग्स लिमिटेड (एविटेल मॉरीशस) के माध्यम से एविटेल पोस्ट स्टूडियोज एफजेड-एलएलसी (एविटेल दुबई) को।इसके बाद इन राशियों का भुगतान हाईहैंड, डिजिटल फ्यूजन आदि को किया गया, यानी कथित अवमानकों के स्वामित्व वाली कंपनियों को।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याची द्वारा निवेश की गई कुल राशि में से 59.2 लाख अमेरिकी

डॉलर एविटेल दुबई के बैंक खातों और बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश जैन परिवार द्वारा नियंत्रित हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेशी अंतिम निर्णय में मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा इसे बरकरार रखा गया है और इस माननीय न्यायालय द्वारा अगस्त के फैसले में प्रथम दृष्टया स्वीकार किया गया है।

बी.

सी.

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं-कथित अवमानकों ने सिंगापुर में अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती नहीं दी।हालाँकि, उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे 28.09.2015 पर खारिज कर दिया गया है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने धारा 34 के आवेदन को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.09.2015 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेशी अंतिम पुरस्कार को सिंगापुर में चुनौती नहीं दी गई है, इसमें दिए गए निष्कर्ष अंतिम हैं और कथित अवमानकों पर बाध्यकारी हैं।

डी.

ई.

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि याची द्वारा प्रतिवादियों-कथित अवमानकर्ताओं और अवितेल को कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद, जो इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए अगस्त के फैसले के बाद और उसके अनुसरण में था, जिसमें उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ कुल 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनाए रखने के लिए निगम बैंक खाते में कमी की राशि जमा करने के लिए कहा गया था, प्रतिवादियों-कथित अवमानकर्ताओं ने उस समय इस आधार पर कमी की राशि जमा करने से इनकार कर दिया कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत कार्यवाही पर विचार कर रहे थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए और इस माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान अवमानना याचिका में नोटिस जारी करने के बाद, इस माननीय न्यायालय ने उत्तरदाताओं-कथित अवमानकर्ताओं को छह सप्ताह की अवधि के भीतर कमी की राशि जमा करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 17.06.2021 पर समाप्त होने वाली कमी राशि जमा करने के बजाय, प्रतिवादियों-कथित अवमानकों ने एक आई. ए. दायर कर कमी राशि के भुगतान से छूट की मांग की, जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं द्वारा एक वचन पत्र दायर करने का प्रस्ताव कि वे जमा करने के स्थान पर अपनी संपत्ति का निपटान नहीं करेंगे

एफ.

जी.

कमी की राशि को स्वीकार नहीं किया गया है और/या उक्त प्रस्ताव को इस माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं की ओर से मामला-कथित अवमानकर्ताओं का कहना है कि वे अपनी संपत्तियों की व्यवस्था करने और उनका परिसमापन करने में असमर्थ हैं, और कुछ नहीं बल्कि उत्तरदाताओं की ओर से कमी की राशि जमा नहीं करने का एक झूठा प्रयास है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपनी परिसंपत्तियों का परिसमापन करने में उनकी असमर्थता और/या आवश्यक राशि जमा करने में उनकी असमर्थता एक लंगड़े बहाने के अलावा और कुछ नहीं है जिसे देर से कहा जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि अगस्त का फैसला दस महीने पहले सुनाया गया था, लेकिन कथित अवमानकर्ताओं ने तब तक राशि जमा करने में अपनी असमर्थता को सूचित नहीं किया जब तक कि उन्होंने अपनी छूट का आवेदन नहीं किया।

बी.

सी.

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि छूट आवेदन-आई. ए. सं. 68388/2011 के जवाब में, याची -एच. एस. बी. सी. द्वारा विशेष रूप से यह इंगित किया गया था कि यदि उत्तरदाताओं-कथित अवमानकों-अवितेल को आवेदन में अनुरोध की गई राहत दी जाती है (कमी राशि का भुगतान करने से छूट) अगस्त का फैसला, अवमानना याचिका, दिनांकित 06.05.2021 आदेश और इसके परिणामस्वरूप, बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रवर्तन कार्यवाही, निष्फल हो जाएगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद, दिनांक 1 के आदेश द्वारा दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद इस माननीय न्यायालय ने छूट आवेदन को खारिज कर दिया था और प्रतिवादियों को दो सप्ताह में अवमानना याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद और अपने अवमाननापूर्ण आचरण के निरंतरता में प्रतिवादियों-कथित अवमानकों ने एक और आई. ए. सं. 82521/2021 (निर्देशों के लिए आवेदन) दायर किया, जिसमें वही आधार उठाए गए जिन्हें इस माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

डी.

ई.

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 16.07.2021 पर, प्रतिवादियों-कथित अवमानकों ने भी अपना जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि वे कमी की राशि की व्यवस्था करने के लिए एविटेल में अपनी हिस्सेदारी सहित अपनी अचल और चल संपत्तियों के संबंध में प्रस्ताव एकत्र करने की प्रक्रिया में हैं और अगस्त के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका (डायरी संख्या 20098/2020) दायर की है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए सभी आधार-जवाबी हलफनामे में कथित अवमानकों को इस माननीय न्यायालय द्वारा इस अवमानना याचिका में ही पहले ही खारिज कर दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, प्रतिवादी-कथित अवमानक उसी मुद्दे को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जैसा कि इस माननीय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

एफ.

जी.

के के मोदी बनाम के एन मोदी और अन्य के मामले में न्यायालय। ; (1998) 3 एससीसी 573।

एच.

439

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.8 याची -एच. एस. बी. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौल द्वारा आगे प्रस्तुत विद्वान गया है कि इस प्रकार उत्तरदाताओं ने स्वीकार विद्वान है कि वे इस माननीय न्यायालय के निर्देशों और दिनांकित 06.05.2021 के आदेश का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार उत्तरदाताओं ने अवमानना याचिका की स्थिरता का मुद्दा नहीं उठाया है।

बी.

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जबकि जवाबी हलफनामे में कथित अवमानकर्ताओं का कहना है कि वे "प्रस्ताव एकत्र करने की प्रक्रिया में हैं" और "अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों की बिक्री को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं", ऐसी संपत्तियों की बिक्री के लिए लगाए गए कथित विज्ञापन 8 जुलाई, 2021 को देर से प्रकाशित किए गए हैं (यानी जवाबी हलफनामा दाखिल करने से एक सप्ताह पहले और अगस्त के फैसले के लगभग 11 महीने बाद और 02.07.2021 पर छूट आवेदन को खारिज करने के आदेश के बाद), जो अनुपालन के लिए उनके प्रयासों का भ्रम पैदा करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है।4.10 यह प्रस्तुत किया

जाता है कि कथित अवमानकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई संपत्तियों की सूची अविश्वसनीय है और इस आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है किः-

सी.

डी.

(i) कथित अवमानकों द्वारा प्रस्तुत परिसंपत्तियों की सूची न तो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित/ऑडिट की जाती है और न ही कथित समकालीनों के आयकर रिटर्न;

((ii) देनदारियों की सूची नहीं है।यह खुलासा करने में विफल रहता है कि क्या प्रकट की गई किसी भी संपत्ति पर मौजूदा बोझ हैं;

ई.

(iii) कथित अवमानकर्ताओं द्वारा प्रकट की गई संपत्ति केवल 16.37 करोड़ रुपये (लगभग) है।यदि परिसंपत्तियों के निपटान की अनुमति दी जाती है, तो सर्वोत्तम स्थिति में केवल 16 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे।

एफ.

((iv) स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का आधार स्पष्ट या विश्वसनीय नहीं है।उदाहरण के लिए, मूल्यह्रास योग्य वस्तुओं जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर आदि की कीमत 2014 से एक ही कीमत पर रखी गई है।इस तरह की परिसंपत्तियों का स्पष्ट रूप से समय के साथ अवमूल्यन होगा और मूल्य में कमी आएगी।

जी.

(v) एविटेल में एविटेल या कथित समकालीनों के हिस्से का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान नहीं किया गया है।वही केवल एक छलावा है;

एच.

(vi) याचिकाकर्ता के एविटेल में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का मूल्य अंतिम विदेशी पुरस्कार में शून्य माना गया था।इसलिए, एविटेल का शुद्ध मूल्य और एविटेल के शेयरों की बिक्री से वास्तविक राशि क्या होगी, यह अनिश्चित है।

(vii) एविटेल के पास रु। एक सहायक कंपनी, एविटेल मॉरीशस में 274 करोड़ रुपये भी पूरी तरह से अविश्वसनीय और भ्रामक है।एविटेल मॉरीशस का अंतर्निहित मूल्य केवल 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हस्तांतरण से उत्पन्न हुआ जिसे याचिकाकर्ताओं ने एविटेल में निवेश किया था या किसी भी घटना में किसी भी विश्वसनीय प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं है।कंपनी के मूल्य को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए एविटेल मॉरीशस की कोई स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है।

बी.

सी.

(viii) अगस्त के फैसले में मध्यस्थता न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों के आलोक में कि याचिकाकर्ता के 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को कथित अवमानकर्ताओं से संबंधित संस्थाओं को दिया गया था; कथित अवमानकर्ताओं और एविटेल के स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची और भी कम विश्वसनीय है।

डी.

4.11 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौल ने आगे यह प्रस्तुत विद्वान कि उन्होंने अवमानना याचिका की स्थिरता का मुद्दा न तो उसके काउंटर में उठाया है और न ही पहले दायर किए गए दो आवेदनों में।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, वर्तमान अवमानना याचिका की स्थिरता को चुनौती देने वाली विलंबित प्रस्तुतियाँ केवल इसी आधार पर खारिज की जानी चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के पास भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके आदेशों की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र है।

ई.

एफ.

4.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित अवमानकों की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलें कि अवमानना याचिका झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि याची सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत पारित अगस्त के फैसले को निष्पादित कर सकता है, गलत धारणा है, कमजोर है और कानून में अस्थिर है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा प्रतिवादियों-कथित अवमानकर्ताओं ने इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित 06.05.2021 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है।

जी.

4.13 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में माननीय न्यायालय

फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम गुरुमुख दास सलूजा **(2004) 3** एससीसी **155** ए

एच.

441

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 9 के तहत एक आवेदन एक मुकदमा नहीं है और धारा 9 के तहत पारित आदेश सर्वकालिक या स्थायी संरक्षण के विपरीत "संरक्षण के अंतरिम उपाय" अभिव्यक्ति के भीतर आएगा।धारा 9 का उद्देश्य मध्यस्थता के समर्थन में त्वरित अंतरिम राहत प्रदान करना और विवाद के विषय की सुरक्षा करना है ताकि अपूरणीय क्षति न हो।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 9 आदेश की चूक के लिए एक निष्पादन आवेदन दायर किया जाना है, फिर शीघ्र अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 9 की कार्यवाही प्रकृति में अंतरिम कार्यवाही है।

बी.

4.14 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अवमानना के पीछे का उद्देश्य न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन को न्यायालय के ध्यान में लाना है और इसलिए अवमानना न्यायालय और न्यायालय की अवमानना करने वाले व्यक्ति के बीच का मामला है।इसके विपरीत, निष्पादन कार्यवाही के पीछे का उद्देश्य उसके पक्ष में डिक्री का फल प्राप्त करना है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, माननीय न्यायालय ने कथित अवमानकर्ताओं को विवाद के विषय के लिए अंतरिम राहत के रूप में एविटेल इंडिया के स्वामित्व वाले बैंक खाते में कमी की राशि जमा करने का निर्देश दिया है और याची को ऐसा कोई भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया है जिससे निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित हो।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अवमानना कार्यवाही और निष्पादन कार्यवाही दो अलग-अलग उपाय हैं जिन्हें एक साथ लागू किया जा सकता है।दिल्ली के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रिलायंस रखा गया है।

सी.

डी.

ई.

विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी **(**पी**)** लिमिटेड**;**

(1996) 4 एस**.** सी**.** सी**. 622** के साथ**-**साथ बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय

राजिंदर कुमार मल्होत्रा बनाम परेश बिहारीलाल व्यास के मामले में;

2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 89.यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी स्थिति में इस अवमानना याचिका में 06.05.2021 दिनांकित आदेश का उल्लंघन भी अपने आप में न्यायालय की अवमानना है।

एफ.

4.15 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह कानून की एक तय स्थिति है कि केवल इसलिए कि न्यायालय का कोई आदेश या डिक्री निष्पादित करने योग्य है, यह अवमानना कार्यवाही में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीन लेगा।राम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

नारंग बनाम रमेश नारंग और अन्र। ; (2006) 11 एससीसी 114।

जी.

4.16 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गठन करने के लिए, न्यायालय का आदेश ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जो सामान्य परिस्थितियों में आरोपित व्यक्ति द्वारा निष्पादित करने में सक्षम हो।

4.17 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मनाया और आयोजित किया गया है

एच.

मेसर्स टेरा मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स बनाम मेसर्स के मामले में न्यायालय

442 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

अलगेंदिरा अपेरल्स 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4458, एक बार ऑर्डर

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है, व्यक्ति अवमानना के लिए उत्तरदायी है।

4.18 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अवमानना के लिए दंडित करने की न्यायालय की शक्ति व्यापक और मान्यता प्राप्त है।न्यायालय के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने वाला पक्ष, चाहे वह अंतर्वर्ती हो या अंतिम, अवमानना में कार्रवाई के अधीन है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

बी.

वेलसेट इंजीनियर्स एंड ए. एन. आर. के मामले में। बनाम विकास ऑटो इंडस्ट्रीज और अन्य। (2015) 10 एस. सी. सी. 609 और एस. ई. बी. आई. बनाम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कार्पोरेशन के मामले में।लिमिटेड और अन्य। (2014) 5 एससीसी 429, गैर -

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन न्यायिक प्रणाली की नींव को हिलाता है और कानून के शासन को कमजोर करता है।

सी.

4.19 अब जहाँ तक प्रत्यर्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ-कथित अवमानकर्ताओं का कहना है कि अगस्त के फैसले में कमी की राशि जमा करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है और इसलिए, कथित अवमानकर्ता-प्रत्यर्थियों को इस माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना में नहीं ठहराया जा सकता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तथ्यों और कानून में गलत है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि अगस्त के फैसले में कथित अवमानकर्ताओं और एविटेल को अंतरिम राहत के रूप में निगम बैंक खाते में कमी की राशि जमा करने की आवश्यकता थी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुझाए गए तरीके से, यानी चार सप्ताह के भीतर।रिलायंस को इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है

डी.

ई.

कुन्हयमद बनाम केरल राज्य; (2000) 6 एस. सी. सी. 359।यह है।

प्रस्तुत विद्वान कि इसलिए, जब इस माननीय न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की, तो प्रतिवादियों-कथित अवमानकों को 19.08.2020 से कम से कम चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपने स्वामित्व वाले निगम बैंक खाते में कमी की राशि जमा करने की आवश्यकता थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार उत्तरदाताओं को अगस्त निर्णय का पालन करने के लिए कई अवसर और पर्याप्त समय दिया गया है।वे इन अवमानना कार्यवाही में जमा करने के लिए 06.05.2021 दिनांकित आदेश की अवमानना में बने हुए हैं, जहां उन्हें जमा करने के लिए अतिरिक्त छह सप्ताह का प्रावधान किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करने में अत्यधिक देरी, एक निष्क्रिय और निष्क्रिय आचरण द्वारा गैर-आज्ञाकारिता को इस माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना माना गया है।

एफ.

जी.

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम भारत संघ का मामला; (2012) 1 एस. सी. सी. 273।

4.20 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी आदेश/निर्णय का अनुपालन कभी भी कथित ए के "तरल धन" की अनुपलब्धता पर निर्भर नहीं था।

एच.

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अवमानना करने वाले।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धन जमा करने का आदेश कथित अवमानकर्ताओं को उपलब्ध धन पर निर्भर नहीं किया जा सकता है।वे यह तर्क नहीं दे सकते कि वे अगस्त के फैसले का पालन तभी करेंगे जब उनकी संपत्ति को बेचने की अनुमति दी जाएगी।

4.21 यह प्रस्तुत किया जाता है कि तरल धन/परिसंपत्तियों की अनुपलब्धता कथित अवमानकों की एक और जानबूझकर की गई रणनीति है जिसका उद्देश्य न केवल याची को बल्कि इस माननीय न्यायालय को भी धोखा देना है।इस माननीय न्यायालय और एस. आई. ए. सी. के निष्कर्षों को देखते हुए कि कथित अवमानकर्ता अपने परिवारों को धन की हेराफेरी करने के दोषी हैं, उनके परिवारों की संपत्ति का खुलासा नहीं किया जाता है।परिसंपत्तियों की सूची से संकेत मिलता है कि भले ही कथित अवमानकर्ताओं को अपनी परिसंपत्तियों को बेचने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्हें 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बराबरी करने के लिए कोई बड़ी राशि नहीं मिलेगी, जैसा कि नीचे दिया गया है:(i) कथित अवमानकों की परिसंपत्तियों का कुल मूल्य लगभग रु। 16 करोड़;

बी.

सी.

((ii) कथित अवमानकर्ताओं ने कहा है कि एविटेल के पास लगभग संपत्ति है।रु. 365 करोड़;

डी.

((iii) रुपये में से। 365 करोड़ रु. निगम बैंक के खाते में लगभग 84 करोड़ रुपये जमा हैं। एविटेल मॉरीशस में शेयरों के रूप में एविटेल के निवेश का मूल्य 247 करोड़ रुपये है।

ई.

(iv) कथित अवमानकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ कि एविटेल के पास रु। एविटेल मॉरीशस नामक सहायक कंपनी में 274 करोड़ रुपये भी पूरी तरह से अविश्वसनीय और भ्रामक है।एविटेल मॉरीशस का अंतर्निहित मूल्य केवल 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हस्तांतरण से उत्पन्न हुआ जिसे याचिकाकर्ताओं ने एविटेल में निवेश किया था या किसी भी घटना में किसी भी विश्वसनीय प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं है।एविटेल मॉरीशस का मूल्यांकन अविश्वसनीय है और एविटेल मॉरीशस की कोई स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट कंपनी के मूल्य को विश्वसनीयता देने के लिए प्रदान नहीं की गई है।(v) विदेशी अंतिम पुरस्कार में कहा गया कि याची द्वारा एविटेल में किए गए निवेश का मूल्य शून्य था।

एफ.

जी.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसी के आलोक में यह अनिश्चित है कि एविटेल का वास्तविक मूल्य क्या है और एविटेल के शेयरों की बिक्री से वास्तविक राशि क्या प्राप्त होगी।एविटेल या अविटेल में कथित अवमानकों के हिस्से का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान नहीं किया गया है।यह केवल एक छलावा है।

एच.

4.22 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि समीक्षा याचिका का केवल लंबित होना इस माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश का पालन न करने का आधार नहीं हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादियों-कथित अवमानकर्ताओं और एविटेल का मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेशों सहित न्यायिक अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने का इतिहास रहा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि समीक्षा याचिका केवल अगस्त निर्णय/आदेश के अनुपालन में देरी करने के लिए दायर की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि समीक्षा याचिका सितंबर 2020 के महीने में दायर की गई थी, जो प्रक्रियात्मक अनुपालन के अभाव के कारण रजिस्ट्री में दोषपूर्ण रही है।दोषों को ठीक करने में इस तरह की एक साल की देरी (i) अगस्त निर्णय देने वाले न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा करने का एक जानबूझकर प्रयास है, और (ii) राशि जमा करने के खिलाफ बहस करने के लिए केवल समीक्षा याचिका दायर करने पर भरोसा करना है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पुनरीक्षण याचिका दायर करने में देरी करने की ऐसी रणनीति को अस्वीकार किया जाना चाहिए। वेदांता लिमिटेड के मामले में रिलायंस को इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है।

बी.

सी.

(पहले मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड**)** बनाम के रूप में जाना जाता था। गोवा फाउंडेशन और अन्य। **2021** एससीसी ऑनलाइन एससी **476**।

डी.

4.23 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय के निर्णय उत्तरदाताओं की ओर से दिए गए हैं-कथित अवमानकर्ता मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि वर्तमान मामला अधिनियम, 1996 की धारा 9 के आवेदन में पारित आदेश और इस माननीय न्यायालय द्वारा

दिनांक 1 के आदेश में अवमानना कार्यवाही में जारी किए गए बाद के विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन का है।

ई.

4.24 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, याची -एच. एस. बी. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौल द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि प्रतिवादियों-कथित अवमानकों ने जानबूझकर अवज्ञा और अवमानना कार्रवाई का उच्चतम रूप दिखाया है और इसलिए, उन्हें अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत दंडित विद्वान जा सकता है और उन्हें कम से कम तब तक दीवानी कारावास की सजा दी जा सकती है जब तक कि वे अगस्त के फैसले के पूर्ण अनुपालन द्वारा अवमानना को शुद्ध नहीं कर लेते।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याची को अवितेल और कथित अवमानकों के धोखाधड़ीपूर्ण आचरण के कारण अपूरणीय नुकसान हुआ है और उसी के आलोक में; बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए याची की याचिका इस माननीय न्यायालय द्वारा तेज की जा सकती है; यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादियों ने हर स्तर पर विलंबकारी रणनीति का उपयोग करने की मांग की है और इसलिए, आगे कोई भी देरी याची के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनती रहेगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की देरी याची जैसे विदेशी निवेशकों को भी हतोत्साहित करेगी जो ए के फल का आनंद लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

एफ.

जी.

एच.

445

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

विदेशी अंतिम पुरस्कार 2014 से इसके पक्ष में पारित किया गया और अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अगस्त निर्णय में निर्देशित इसके विवाद के विषय की रक्षा करना चाहता है।

5. वर्तमान अवमानना कार्यवाही का श्री मुकुल रोहतगी द्वारा जोरदार विरोध विद्वान जाता है, जो कथित अवमानना करने वाले प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

बी.

5.1 यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि वर्तमान कार्यवाही याची -एच. एस. बी. सी. द्वारा मध्यस्थता याचिका संख्या 1062/2012 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 22.01.2014 के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए शुरू की गई है, जिसके

द्वारा उत्तरदाताओं को 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने का निर्देश दिया जाता है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि इस माननीय न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 5158/2016 में दिनांकित 19.08.2020 के निर्णय और आदेश द्वारा की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह का एक समीक्षा आवेदन आर. पी. डायरी संख्या 20098/2020 है जिसे एविटेल इंडिया द्वारा उपरोक्त निर्णय और दिनांक 19.08.2020 के आदेश को वापस लेने/समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए दायर किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त समीक्षा आवेदन इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार के लिए लंबित है।

सी.

डी.

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अगस्त के फैसले के लगभग 37 दिनों में, एच. एस. बी. सी. द्वारा दी गई तीन सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर एच. एस. बी. सी. द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई है। यह 30.04.2021 पर प्रस्तुत किया गया है, एच. एस. बी. सी. ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष अंतरिम राहत के लिए आई. ए. नं. <आई. डी. 2. दायर किया है ताकि इसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जा सके कि वे वर्तमान अवमानना याचिका के लंबित रहने के दौरान अपनी चल और अचल संपत्तियों को बेचने, अलग करने, बोझ डालने, तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने, स्थानांतरित करने या स्थानांतरित करने से रोकें।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वही आवेदन इस माननीय न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

ई.

एफ.

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थियों ने एक आई. ए. नं. 82521/2021 भी दायर किया है, जिसमें इस माननीय न्यायालय से अपनी संपत्तियों और कंपनी की संपत्तियों को बेचने और/या बोझ डालने की अनुमति मांगी गई है, ताकि निगम बैंक में रखी गई कंपनी के बैंक खाते में आवश्यक कमी राशि जमा करने की व्यवस्था की जा सके।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए याची यहां विरोधाभासी रुख अपना रहा है क्योंकि एक ओर याची बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों की संपत्तियों पर रिसीवर की नियुक्ति की मांग कर रहा है और प्रतिवादियों को अपनी संपत्तियों के निपटान से रोकने के लिए एक आवेदन दायर कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर याची अवमानना क्षेत्राधिकार का उपयोग कर रहा है।

जी.

एच.

निगम बैंक खाते में कमी की राशि जमा करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को लागू करना।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में प्रत्यर्थी ने किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए कोई उपाय नहीं किया है और प्रत्यर्थी वर्तमान में केवल कंपनी और उसके निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्तियों के मूल्य का आकलन कर रहा है और निगम बैंक खाते में कमी की राशि जमा करने के निर्देश का पालन करने के लिए केवल इस माननीय न्यायालय की उचित अनुमति से अपनी संपत्तियों को बेचेगा/बोझ उठाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए वर्तमान अवमानना कार्यवाही पर विचार करते समय उपरोक्त पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।

बी.

5.4 श्री रोहतगी, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-कथित अवमानकों ने आगे प्रस्तुत विद्वान है कि वर्तमान अवमानना याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) अवमानना में वर्तमान कार्यवाही के माध्यम से, याची मध्यस्थता याचिका संख्या 1062/2012 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को निष्पादित करने की मांग कर रहा है, जो उपयुक्त अदालत/मंच के समक्ष निष्पादित करने योग्य है; (ii) अवमानना कार्यवाही निष्पादन/प्रवर्तन कार्यवाही (याची द्वारा पहले से ही लाभ उठाया जा रहा है) का स्थान नहीं ले सकती है और इस तरह वर्तमान अवमानना कार्यवाही कानून और तथ्यों में गलत धारणा है।उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने खाद्य निगम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा विद्वान है।भारत बनाम सुख

सी.

डी.

ई.

देव प्रसाद**; (2009) 5** एस**.** सी**.** सी**. 665 (**पैरा **31)** और आर**.** एन**.** डे बनाम भाग्यबती प्रमाणिक**; (2000) 4** एस**.** सी**.** सी**. 400 (**पैरा **7)** के साथ**-**साथ न्यायालय परिसमापक कर्मचारी संघ के मामले में। बनाम पी**.** जी**.** मांकड़**; (2002) 10** एस**.** सी**.** सी**. 477**।

5.5 यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि वर्तमान मामले में भी, अगस्त के फैसले द्वारा इस माननीय न्यायालय ने याची की अपील को यहां स्वीकार कर लिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा है, इसलिए याची के लिए यहां उचित उपाय यह है कि यदि आवश्यक हो तो निष्पादन के लिए बॉम्बे के उच्च न्यायालय से संपर्क विद्वान जाए, न कि इस माननीय

न्यायालय से।5.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक याची द्वारा भरोसा की गई वर्तमान अवमानना याचिका की स्थिरता के संबंध में विशेष रूप से विलय के सिद्धांत को विस्तृत करने के लिए कुन्हयमद (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है, उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय ए में चर्चा और विचार के अनुसार विलय का सिद्धांत

एफ.

जी.

एच.

447

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

यह एक अलग आधार पर था और यह उक्त निर्णय के पैराग्राफ 44 में दिए गए निष्कर्षों से स्पष्ट है।

5.7 उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने आगे विद्वान कि उत्तरदाताओं का इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने का कोई इरादा कभी नहीं था और न ही उनका कोई इरादा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्ण इच्छा और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, प्रतिवादी इस माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में ऐसे कारणों से असहाय हैं जो उनके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हैं और इस स्तर पर पर्याप्त धन की कमी है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून के अधिकार और प्रशासन को अनादर या उपेक्षा में लाने या इस माननीय न्यायालय के अधिकार में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने या याची के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा करने का कोई इरादा नहीं है।

बी.

सी.

5.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं के पास कमी जमा करने के लिए तत्काल तरल निधि नहीं है।इसमें उत्तरदाताओं द्वारा आवश्यक धन की व्यवस्था करने के लिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी सहित अपनी अचल और चल संपत्तियों के संबंध में प्रस्ताव एकत्र करने के लिए अत्यंत और शीघ्र ईमानदार प्रयास किए जा रहे हैं।

डी.

5.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें प्रतिवादियों ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष कंपनी और कथित अवमानकों के नाम पर सभी परिसंपत्तियों का खुलासा किया है और यदि इस

माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाता है तो उक्त परिसंपत्तियों की न्यायालय नीलामी के लिए भी प्रस्तुत किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि निगम बैंक में रखी गई कंपनी के बैंक खाते में आवश्यक कमी राशि जमा करने की व्यवस्था करने के लिए उनकी संपत्तियों और कंपनी की संपत्तियों को बेचने और/या बोझ डालने के निर्देश के लिए अनुरोध करने वाला आई. ए. नंबर <आई. डी. 1 होने का आवेदन भी इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।

ई.

एफ.

5.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं के पास वास्तविक असमर्थता है और उनके सर्वोत्तम इरादों के बावजूद निगम बैंक में कमी की राशि जमा करने का साधन नहीं है, जब तक कि उन्हें निगम बैंक खाते में कमी की राशि जमा करने के लिए और धन उत्पन्न करने के लिए अपनी संपत्ति बेचने/बोझ डालने की अनुमति नहीं दी जाती है।

जी.

5.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अवमानना की कार्यवाही केवल तभी आकर्षित की जा सकती है जब पक्षों की ओर से चूक जानबूझकर और न्यायालय के अधिकार की अवहेलना करने के इरादे से हो और पक्ष की ओर से जानबूझकर अवज्ञा होनी चाहिए।

एच.

5.12 यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्णयों के संबंध में अभिनिर्धारित विद्वान गया है कि केवल गैर-अनुपालन किसी व्यक्ति/निर्णय-देनदार को अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडित करने का आधार नहीं हो सकता है। 5. 13 यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश अभी तक एक डिक्री नहीं बना है और मध्यस्थता पुरस्कार का प्रवर्तन अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि भले ही यह माना जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश एक डिक्री बन गया है, सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 40 सहपठित धारा 51 उसी के निष्पादन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

बी.

5.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि राम नारंग बनाम के मामले में।

रमेश नारंग और अन्य। (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 29, यह माननीय

सी.

न्यायालय ने कहा है कि दीवानी अवमानना के लिए कार्रवाई करने के लिए याची को न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि न्यायालय के किसी भी फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा की गई है।प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने भी राम किशन बनाम तरुण बजाज के मामलों में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा विद्वान है।

डी.

(2014) 16 एस**.** सी**.** सी**. 204;** कंवर सिंह सैनी बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय**;** **(2012) 4** एस**.** सी**.** सी**. 307** और कपिलदेव प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य**;**

(1999) 7 एस. सी. सी. 569, उनकी उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में और उनके अनुरोध और प्रार्थना के समर्थन में कि वर्तमान अवमानना याचिका पर विचार न विद्वान जाए और याची को किसी अन्य उपाय का लाभ उठाने के लिए खारिज कर दिया जाए जो याची को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 2 के आदेश को निष्पादित करने के लिए उपलब्ध हो सकता है, जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3 में दिनांक 1 के निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि और पुष्टि की गई है।

ई.

6. सुना है।वर्तमान अवमानना कार्यवाही में, याची ने आरोप लगाया है कि कथित अवमानकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5158/2016 में पारित किए गए दो आदेशों और वर्तमान कार्यवाही में पारित किए गए 06.05.2021 के बाद के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए न्यायालय की अवमानना की है।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक याचिका में एक आदेश पारित विद्वान , जिसमें उत्तरदाताओं को निगम बैंक में अपने खाते में कमी की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है ताकि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखी जा सके।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा संशोधित विद्वान गया और कथित अवमानकर्ता ए थे

एफ.

जी.

एच.

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

निगम बैंक खाते में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर अतिरिक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया गया, ताकि उक्त खाते में कुल जमा राशि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उक्त आंकड़े के आधे पर रखी जा सके, यानी 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर (विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेशित 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय)।विस्तृत निर्णय और दिनांक 19.08.2020 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने सिविल अपील सं. 5158/2016 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22.01.2014 द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया है।इस प्रकार, उत्तरदाताओं-कथित अवमानकर्ताओं को निगम बैंक में अपने खाते में कमी जमा करने का निर्देश दिया जाता है ताकि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखी जा सके।उक्त आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया है और उत्तरदाता निगम बैंक के साथ अपने बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखने में विफल रहे हैं।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस बीच सिंगापुर में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने भी एच. एस. बी. सी.-याची के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ हर्जाने के रूप में 60 मिलियन अमरीकी डॉलर देने का एक अंतिम निर्णय पारित किया था।सिंगापुर में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार के खिलाफ अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत आवेदनों को खारिज कर दिया गया था और एच. एस. बी. सी. द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में विदेशी अंतिम पुरस्कार दिनांक 1 को लागू करने के लिए दायर निष्पादन कार्यवाही लंबित होने की सूचना है। 04.09.2020 दिनांकित एक नोटिस द्वारा, याची ने कथित अवमानकों-उत्तरदाताओं और एविटेल को एक कानूनी नोटिस दिया था, जिसमें उनसे 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखने के लिए निगम बैंक खाते में कमी की राशि जमा करने का आह्वान किया गया था।उपरोक्त के बावजूद, उत्तरदाता अपने निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने और/या जमा करने में विफल रहे हैं।कि इसके बाद, वर्तमान अवमानना कार्यवाही 25.09.2020 पर शुरू/दायर की गई है जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2020 द्वारा पारित निर्णय और आदेश की जानबूझकर, जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाया गया है।इस न्यायालय ने 06.11.2020 पर वर्तमान अवमानना कार्यवाही में एक नोटिस जारी किया था।कि इसके बाद 06.05.2021 दिनांकित एक और आदेश द्वारा इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को वर्तमान आवेदन के अनुरोध (बी) के अनुसार निगम बैंक खाते में छह सप्ताह की अवधि के भीतर कमी की राशि जमा करने का निर्देश दिया था।इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 06.05.2021 आदेश के माध्यम से जो प्रार्थना (बी) दी गई है, वह इस प्रकार है:-

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

“ख) कथित समकालीनों को ए. पी. ए. एक्स. की कमी को तुरंत जमा करने का निर्देश दें।42 मिलियन अमेरिकी डॉलर (ए. पी. एक्स.)।आई. एन. आर. 3,09,07,18.09.2020 पर 88,400), ताकि कम से कम 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर (ए. पी. एक्स.) की राशि शेष रखी जा सके।निर्णय की आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने के लिए निगम बैंक खाते में आई. एन. आर. 4,41,54,18.09.2020 पर 12,000)

एच.

इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित 2016 की सिविल अपील संख्या 5158 में दिनांक 19.08.2020; "

6.1 इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 5158/2016 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश न केवल अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आवेदन में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बहाल करने के लिए है, जिसमें उत्तरदाताओं को अपने निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, इसके अलावा प्रार्थना पैरा (बी) (ऊपर पुनः प्रस्तुत) के संदर्भ में और निर्देश दिए गए हैं। उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित 06.05.2021 के बाद के निर्देश का भी पालन नहीं किया गया है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांकित 06.05.2021 के निर्देश/आदेश के बाद, दिनांकित 06.05.2021 के आदेश में निहित निर्देशों का पालन करने के बजाय, उत्तरदाताओं ने एक आई. ए. दायर किया जिसमें आई. ए. संख्या 68388/2021 होने की कमी राशि के भुगतान से छूट मांगी गई थी।छूट की मांग करते समय, आई. ए. सं. <आई. डी. 1 में उत्तरदाताओं की ओर से यह मामला था कि उनकी पूर्ण इच्छा और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वे इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में ऐसे कारणों से असहाय हैं जो उनके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हैं और इस स्तर पर पर्याप्त धन की कमी है।पैराग्राफ 5 से 16 में, यह निम्नानुसार कहा गया थाः-

बी.

सी.

डी.

“5. शुरुआत में, आवेदक सबसे विनम्रता से कहते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि वे इस माननीय न्यायालय का अत्यधिक सम्मान करते हैं और इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।यहाँ आवेदकों का इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने का कोई इरादा कभी नहीं था और न ही उनका कोई इरादा है। अपनी पूर्ण इच्छा और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, आवेदक ऐसे कारणों से इस माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में असहाय हैं जो उनके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हैं और इस स्तर पर पर्याप्त धन की कमी है।कानून के अधिकार और प्रशासन को अनादर या उपेक्षा में लाने या इस माननीय न्यायालय के अधिकार में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने या याची के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा करने का कोई इरादा नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

6. आवेदक तत्काल अवमानना याचिका में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों को लागू करने और उनका पालन करने में असमर्थ होने के लिए इस माननीय न्यायालय से अयोग्य और बिना शर्त माफी मांगते हैं।

7. आवेदकों का कहना है कि 06.05.2011 पर याची एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड को कंपनी ए.

एच.

451

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

रुपये की नाममात्र राशि के भुगतान पर कुल 6,14,327 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर। 10 प्रति शेयर (भुगतान की गई कुल नाममात्र राशि = रु। 61,43,270-) और रुपये की प्रीमियम राशि। 4355.75 प्रति शेयर (भुगतान की गई कुल प्रीमियम राशि = रु। 267,58,52,260/-) और रुपये की नाममात्र राशि का 1 इक्विटी शेयर। आई 0 प्रति शेयर (कुल नाममात्र राशि का भुगतान = रु। आई 0/-) और रुपये की प्रीमियम राशि। 4460/- प्रति शेयर (भुगतान की गई कुल प्रीमियम राशि = रु। 4460/-), जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 75 (1) के तहत प्रपत्र 2 में दाखिल आवंटन की विवरणी से स्पष्ट है।कंपनी द्वारा दायर किए गए उक्त प्रपत्र 2 की एक प्रति जिसमें जारी किए गए शेयरों और उसके लिए भुगतान की गई राशि का विवरण दिखाया गया है, यहां संलग्न है और अनुलग्नक ए-2 के रूप में

चिह्नित है।(पृष्ठ संख्या 13 से 19)।इस प्रकार, कुल रु। याची एचएसबीसी द्वारा कंपनी के शेयरों में 268,20,00,000/- (दो सौ अड़सठ करोड़ बीस लाख रुपये-60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर) का निवेश किया गया था।

बी.

सी.

8. यहाँ आवेदक प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान में रु। 84,10,65,140/- (रु. अस्सी-चार करोड़ दस लाख पैंसठ हजार एक सौ चालीस) निगम बैंक में पड़ा हुआ है।यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान आवेदन इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है ताकि बैंक खाते में कमी की राशि जमा करने से छूट की मांग की जा सके क्योंकि न तो आवेदक और न ही कंपनी, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश का पालन करने के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग आवश्यक शेष राशि की व्यवस्था कर सके।

डी.

ई.

9. आवेदक 31 मार्च 2014 से अब तक कंपनी और प्रत्येक आवेदक की संपत्तियों की पूरी सूची संलग्न कर रहे हैं।

एफ.

10. वर्तमान परिदृश्य में, आवेदक सर्वोत्तम प्रयासों और इरादे के बावजूद, निगम बैंक खाते में जमा करने के लिए इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित पूरी कमी राशि की व्यवस्था करने के लिए अपनी और कंपनी की उपरोक्त संपत्तियों का परिसमापन करने में असमर्थ हैं।यह ऐसा मामला नहीं है जहां आवेदकों के पास पैसा हो, लेकिन वे इस माननीय न्यायालय के आदेशों का कोई अपमान करने वाले निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं।आवेदकों के पास वास्तविक अक्षमता है और उनके पास अपने सर्वोत्तम इरादों और प्रयासों के बावजूद निगम बैंक में कमी की राशि जमा करने का साधन नहीं है।आवेदक सबसे विनम्रता से बताते हैं और प्रस्तुत करते हैं

जी.

एच.

कि वे इस माननीय न्यायालय का अत्यधिक सम्मान करते हैं।आवेदक पर्याप्त तरल धन की कमी के लिए तत्काल अवमानना याचिका में दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इस माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में अपनी वास्तविक अक्षमता के लिए इस माननीय न्यायालय से एक अयोग्य माफी मांगते हैं।

बी.

11. हालाँकि आवेदक इस माननीय न्यायालय के समक्ष यह वचन देने के लिए तैयार हैं कि वे कोई बोझ नहीं पैदा करेंगे और याची के भविष्य के लाभ के लिए अपनी या कंपनी की उपरोक्त सभी संपत्तियों को संरक्षित करेंगे, बशर्ते कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित पुरस्कार कार्यवाही/धारा 48 की कार्यवाही के प्रवर्तन के अंतिम परिणाम के अधीन हो, जिसमें अभिवचन भी पूर्ण हैं।आवेदक इस माननीय न्यायालय को ऐसा वचन भी देंगे जो न्यायसंगत और समीचीन लगे।

सी.

12. आवेदकों का कहना है कि जहां तक मुंबई में कंपनी के कार्यालय परिसर और आवासीय परिसर का संबंध है, जहां आवेदक मुंबई या पंचगनी में रहते हैं, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक नं.1 कार्यालय परिसर इकाई सं. का पंजीकृत मालिक है। ए-7 और ए-8, विमल उद्योग भवन, ताइकलवाड़ी रोड, मुंबई क्रमशः 08-07-1999 और 19-07-2001 से, और प्लेजेंट पैलेस, नारायण दाभोलकर रोड, मालाबार हिल, मुंबई में आवासीय परिसर के पंजीकृत मालिक-400,006 07-01-2011 से, और सिल्वर वैली सीएचएस, पंचगनी में स्थित आवासीय संपत्तियों की सात इकाइयाँ (31.03.2011 से छह इकाइयाँ और 09.07.2012 से एक और इकाई)।आवेदक संख्या 2 सिद्धार्थ जैन की पत्नी श्रीमती शिवानी सिद्धार्थ जैन और आवेदक संख्या 3 ऋषि जैन की पत्नी श्रीमती प्रियंका ऋषि जैन इकाई संख्या 2 में कार्यालय परिसर की पंजीकृत मालिक हैं। ए-9 और ए-6 क्रमशः विमल उद्योग भवन, ताइकलवाड़ी रोड, मुंबई में 03-09-2012 और 30-08-2012 के बाद से। आवेदक संख्या 1 के पुत्र और आवेदक संख्या 2 और 3 के भाई श्री ऋषभ जैन इकाई संख्या 3 में कार्यालय परिसर के पंजीकृत मालिक हैं। ए-11 विमल उद्योग भवन, तायकलवाड़ी रोड, मुंबई में 30-08-2012 के बाद से। जुहू, मुंबई में कार्यालय परिसर किराए का था और फरवरी 2015 में इसे खाली कर दिया गया था।इस अनुच्छेद में उल्लिखित किसी भी परिसर का स्वामित्व आवेदकों के पास नहीं है।इन तथ्यों का खुलासा इस माननीय न्यायालय को पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए भी किया जा रहा है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

453

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

13. कि, दिनांकित 06.05.2021 आदेश का पालन करने में आवेदक की असमर्थता वास्तविक, अनजाने में है और इसमें ईमानदारी की कमी नहीं है।14. उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक विनम्रतापूर्वक इसके लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं और इस माननीय न्यायालय के दिनांकित 06.05.2021 आदेश में निहित निर्देशों का पालन करने से छूट की मांग करते हैं।

बी.

15. कि, आवेदक इस माननीय न्यायालय को सबसे अधिक सम्मान और सम्मान देते हैं।

16. उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक इस माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी विनम्र अयोग्य और बिना शर्त माफी को स्वीकार करने के लिए प्रसन्न हों, और उन्हें अवमानना कार्यवाही के दायरे से दोषमुक्त करें, अवमानना कार्यवाही के कारण दिखाएं नोटिस का निर्वहन करें।आवेदक निगम बैंक में कमी की राशि जमा करने के लिए इस माननीय न्यायालय के दिनांकित 06.05.2021 के आदेश का पालन करने से छूट के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, और आवेदकों के ऐसे वचन को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिनांकित 06.05.2021 को उपयुक्त रूप से संशोधित कर रहे हैं, जो इस माननीय न्यायालय को न्यायसंगत, समीचीन और संतुष्ट कर सके।" दिनांकित 06.05.2021 आदेश के अनुसार कमी की राशि जमा करने से छूट के लिए उपरोक्त आवेदन को इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 02.07.2021 आदेश के माध्यम से विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।उपरोक्त के बावजूद, आज तक, उत्तरदाता दिनांकित 06.05.2021 आदेश के अनुसार कमी की राशि जमा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, वर्तमान अवमानना कार्यवाही पर विचार करते समय, उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य और उत्तरदाताओं के आचरण पर विचार करने की आवश्यकता है।7. वर्तमान अवमानना कार्यवाही का प्रतिवादियों द्वारा विरोध विद्वान जाता है-कथित अवमानकर्ता इस आधार पर, कि (i) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 22.01.2014 द्वारा पारित आदेश, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5158/2016 में दिनांकित 19.08.2020 आदेश द्वारा की गई है, एक निष्पादन योग्य आदेश है और इसलिए, वर्तमान अवमानना कार्यवाही पर विचार नहीं विद्वान जा सकता है। (ii) कि उत्तरदाताओं की ओर से कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं है-कथित अवमानकर्ताओं ने 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखने के लिए अपने निगम बैंक खाते में कमी की राशि जमा नहीं की है क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है और इसलिए, गैर-अनुपालन उनके नियंत्रण से बाहर है और इसलिए, उनके सर्वोत्तम प्रयासों

के बावजूद आदेश का पालन करने में उनकी असमर्थता अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत किसी भी सजा की गारंटी नहीं देती है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

8. अब जहाँ तक वर्तमान अवमानना कार्यवाही का विरोध करने वाला पहला विवाद, अर्थात्, उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को अपने निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखने का निर्देश दिया गया था, का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्तमान कार्यवाही में यह इस अदालत द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के गैर-अनुपालन का मामला नहीं है।इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 06.05.2021 आदेश के माध्यम से एक और विशिष्ट निर्देश जारी किया गया है।इसलिए, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 जारी किए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया है, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं को 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखने के लिए कमी की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।कि इसके बाद, दिनांकित 06.05.2021 आदेश के अनुसार कमी की राशि जमा करने से छूट के लिए एक और आवेदन को भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।इसलिए, इसके बाद प्रत्यर्थियों के लिए यह प्रस्तुत करना खुला नहीं होगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित आदेश निष्पादन योग्य है, वर्तमान अवमानना कार्यवाही पर विचार नहीं विद्वान जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

8.1 इस स्तर पर, न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत अवमानना कार्यवाही पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है।राम नारंग (उपर्युक्त) के मामले में आर. एन. के मामलों में इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करने और उन पर विचार करने के बाद।

डे **(**ऊपर**),** रीता मार्कंडेय बनाम**.** सुरजीत सिंह अरोड़ा**; (1996) 6** एस**.** सी**.** सी**. 14** और बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम सद्रुद्दीन हसन दया**; (2004) 1** एस**.** सी**.** सी**.**

ई.

360 , इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि याची डिक्री को निष्पादित कर सकता है जिसका उत्तरदाताओं द्वारा की गई अवमानना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने आर. एन. डे (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी विस्तार से (पैरा 31 में) विचार विद्वान , जिस पर वर्तमान मामले में प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा विद्वान गया है। निर्णय का पैरा 24 इस प्रकार हैः-

एफ.

“24. सभी फरमान और आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादित किए जा सकते हैं। सहमति आदेश या आदेश निश्चित रूप से निष्पादन योग्य भी हैं।लेकिन केवल इसलिए कि कोई आदेश या डिक्री निष्पादन योग्य है, अधिनियम के तहत किसी मामले से निपटने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीन लेगा, बशर्ते कि न्यायालय का समाधान हो कि आदेश या डिक्री का उल्लंघन ऐसा है, कि अगर साबित हो जाता है, तो यह अधिनियम की धारा 13 के तहत इस आधार पर सजा का वारंट करेगा कि अवमानना काफी हद तक हस्तक्षेप करती है या काफी हद तक ए में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है।

जी.

एच.

455

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

न्याय के उचित मार्ग के साथ।उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे लागू होते हैं जैसा कि हम बाद में देखेंगे।” 8.2 इस तथ्य के अलावा कि आर. एन. डे (उपरोक्त) के मामले में तथ्य वर्तमान मामले में जितना अलग है, इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश के माध्यम से जारी किए गए और विशिष्ट निर्देश हैं, यहां तक कि उक्त निर्णय में भी यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को दिए गए विवेकाधिकार का उपयोग

न्यायालय की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया जाना है।यह आगे देखा गया है कि अवमानना एक अवमाननाकर्ता और न्यायालय के बीच होती है और एक पीड़ित पक्ष को इस बात पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि न्यायालय को इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

बी.

8.3 वेलसेट इंजीनियर्स और ए. एन. आर. (ऊपर) के मामले में, यह है

सी.

इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने वाले पक्षकार, चाहे वह अंतर्वर्ती हो या अंतिम, के खिलाफ अवमानना में कार्यवाही की जा सकती है।आदेशों का पालन किया जाना है और एक व्यक्ति, आदेश का उल्लंघन करते हुए उस व्यक्ति के जोखिम पर ऐसा करता है।

8.4 एस. ई. बी. आई. (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन न करना हमारी न्यायिक प्रणाली की नींव को हिलाता है और कानून के शासन को कमजोर करता है, जिसका हम सम्मान और रक्षा करने के लिए बाध्य हैं।न्यायपालिका में इस देश के लोगों का विश्वास और विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।यह भी देखा गया है कि कानून के शासन को लागू करने, अवमानना करने वालों को दंडित करने और न्यायपालिका में लोगों के विश्वास और विश्वास को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है।

डी.

ई.

9. इस न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को लागू करते हुए और इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित आदेश में जारी किए गए बाद के विशिष्ट निर्देशों को लागू करते हुए, उत्तरदाताओं की ओर से आपत्ति है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश निष्पादन योग्य है और इसलिए, वर्तमान अवमानना कार्यवाही पर विचार नहीं विद्वान जा सकता है।

एफ.

10. अब जहाँ तक प्रत्यर्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ हैं कि कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं है क्योंकि उनके पास कमी की राशि जमा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सभी प्रस्तुतियाँ आई. ए. संख्या 68388/2021 में पहले की गई थीं, जिसमें दिनांक 06.05.2021 के आदेश के

अनुसार कमी की जमा राशि से छूट की मांग की गई थी और इन्हें इस न्यायालय और दिनांकित आदेश के माध्यम से स्वीकार नहीं किया गया है।

जी.

एच.

456

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 15 एस सी आर।

02.07.2021 छूट के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है।इसके बाद, उत्तरदाताओं के लिए बार-बार एक ही प्रस्तुतियाँ दोहराना और प्रस्तुत करना खुला नहीं होगा।प्रत्यर्थियों को वही प्रस्तुतियाँ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पहले स्वीकार और/या अस्वीकार नहीं किया गया है।बार-बार प्रस्तुतियाँ जिन्हें न्यायालय द्वारा पहले स्वीकार नहीं किया गया है, जो अपने आप में एक जानबूझकर अवज्ञा है और अवमानना के समान है और यह अवमानकर्ताओं के आचरण को दर्शाता है।

बी.

11. उत्तरदाताओं को कमी की राशि जमा करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं ताकि उनके निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि बनी रहे।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अपने आवेदन में पारित पहला आदेश वर्ष 2014 में पारित विद्वान गया है और यहां तक कि इसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से बहाल विद्वान गया है और उसके बाद, आगे के निर्देश विशेष रूप से उत्तरदाताओं को दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से कमी जमा करने का निर्देश देते हुए जारी किए गए हैं और उसके बाद इस न्यायालय द्वारा कमी की राशि जमा करने से छूट के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है।उपरोक्त के बावजूद, प्रतिवादी कमी की राशि जमा करने में विफल रहे हैं और इसलिए, उन्होंने न केवल सिविल अपील संख्या 5158/2016 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए, बल्कि वर्तमान आवेदन में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा और गैर-अनुपालन के लिए भी अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपयुक्त सजा के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराया है।उत्तरदाताओं की ओर से बचाव में ईमानदारी की कमी है।कानून के शासन और न्याय की महानता को बनाए रखने के लिए और यह देखने के लिए कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और विश्वास बना रहे, यह वर्तमान अवमानना कार्यवाही पर विचार करने और अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवादियों को दंडित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम प्रतिवादियों को सिविल अपील संख्या 5158/2016 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के साथ-साथ वर्तमान याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित 06.05.2021 के आदेश की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए दोषी ठहराते हैं।प्रत्यर्थियों ने इस तरह की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपयुक्त सजा के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराया है।हालाँकि, इससे पहले कि हम सजा/दोषसिद्धि का कोई और आदेश पारित करें, हम अभी भी उत्तरदाताओं को दिनांक 06.05.2021 A के आदेश का पालन करने का एक अतिरिक्त अवसर देते हैं।

जी.

एच.

457

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड बनाम प्रदीप शांतिपरशाद जैन एंड ऑर्स। [एम. आर. शाह, जे.]

वर्तमान याचिका के साथ-साथ सिविल अपील संख्या 5158/2016 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.08.2020 में कम राशि जमा करने के लिए पारित किया गया ताकि आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उनके निगम बैंक खाते में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखी जा सके।उपरोक्त का सीधे तौर पर लगाए जाने वाले दंड पर असर पड़ेगा।

बी.

सजा पर आगे के आदेश के लिए मामले को इस पीठ के समक्ष 12.08.2022 पर रखें।

दिव्या पांडे

निर्देश जारी किए गए।

सी.

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.